समापन भाषण

माननीय सदस्यगण,

पंचदश बिहार विधान सभा का अष्टम् सत्र दिनांक 18 फरवरी, 2013 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 04 अप्रील, 2013 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल-28 बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 18 फरवरी, 2013 को महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के सह-समवेत बैठक में सदस्यों को सम्बोधित किया गया । बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित तदुपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमत 08 (आठ) विधेयकों का विवरण सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया । 14 (चौदह) जननायकों के निधन पर शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई ।

दिनांक 19 फरवरी, 2013 को माननीय मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक 19 फरवरी, 2013 से जारी वाद-विवाद का उत्तर दिनांक 20 फरवरी, 2013 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया तत्पश्चात धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 21 फरवरी, 2013 को माननीय मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक को सदन में उपस्थापित करते हुए बजट भाषण दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक पर हुए सामान्य विमर्श का उत्तर दिनांक 25 फरवरी, 3013 को माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया । आय-व्ययक में सम्मिलित 17 विभागों के अनुदानों की माँगों पर वाद-विवाद हुआ तथा सदन द्वारा विभागीय मंत्री के उत्तर के पश्चात् सदन द्वारा इसे स्वीकृत किया गया । शेष माँगे सदन में गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 13 मार्च, 2013 को प्रभारी मंत्री ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 61(3) के अन्तर्गत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का वर्ष 2010-11 का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा-18(2) के तहत् अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-217, दिनांक 27.11.2012, बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा-9(4) के तहत् अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-215, दिनांक 27.11.2012 एवं बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-93(3) के तहत् अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-119, दिनांक 13.02.2013 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक 15 मार्च, 2013 को माननीय मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी को सदन में उपस्थापित किया गया ।

राजकीय विधेयकों में यथा- (1) बिहार विनियोग विधेयक, 2013, (2) बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2013, (3) बिहार वित्त विधेयक, 2013, (4) बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2013, (5) भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2013, (6) बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक, 2013 (7) बिहार खेल-कूद (खेल-कूद संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता एवं विनियमन) विधेयक, 2013 (8) आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (9) बिहार निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 (10) बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 (11) बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013 (12) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 एवं (13) पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 20 मार्च, 2013 को प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 की धारा-54(2) के तहत् बिहार लोकायुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 की एक-एक प्रति तथा प्रभारी मंत्री उद्योग विभाग द्वार बिहार राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा-38(2) के तहत् बिहार राज्य वित्तीय निगम के वर्ष 2010-11 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक 21 मार्च, 2013 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के परिणाम बजट की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक 01 अप्रील, 2013 को प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25(4) के तहत् बिहार राज्य सूचना आयोग का वित्तीय वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक 02 अप्रील, 2013 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के बिहार सरकार का वर्ष 2011-12 के वित्त लेखे खण्ड-1, वित्त लेखे खण्ड-2 एवं विनियोग लेखे की एक-एक प्रति तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 2011-12 का प्रतिवेदन 'राज्य का वित्त' की प्रति सदन पटल पर रखी गयी तथा इसके जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

इस सत्र के दौरान 28 बैठकों में राज्य के 26 जिलों के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं ने सदन के प्रथम पाली की कार्यवाही एवं पटना के छात्र एवं छात्राओं ने सदन के द्वितीय पाली की कार्यवाही देखा । साथ ही जे० डी० वीमेन्स कॉलेज के छात्राओं के साथ व्याख्याताओं ने एवं सेन्ट जोसफ कॉन्वेन्ट, प्रोवेन्शियल हाउस दीघा घाटा, पटना के सिस्टर्स ने भी सदन की कार्यवाही को देखा ।

सत्र के दौरान कुल-6160 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई । कुल-4506 प्रश्न स्वीकृत हुए, जिसमें 52 अल्पसूचित प्रश्न, 3740 तारांकित प्रश्न तथा 714 अतारांकित प्रश्न थे । इन स्वीकृत प्रश्नों में से 403 प्रश्न उत्तरित हुए एवं 1146 प्रश्नोत्तर सदन पटल पर रखे गये । उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या-170, अपृष्ठ प्रश्न 93 एवं 2694 प्रश्न अनागत हुए ।

इस सत्र में कुल-841 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 632 स्वीकृत हुए एवं 209 अस्वीकृत हुए । कुल-374 याचिकाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें 256 स्वीकृत एवं 118 अस्वीकृत हुईं ।

इस सत्र में कुल-495 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें 52 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 389 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये एवं 54 अमान्य हुए ।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के मामले उठाये गये । बिहार विधान सभा की विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

इस सत्र के दौरान कुल-297 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में विचार-विमर्श हुआ ।

माननीय सदस्य, श्री दुर्गा प्रसाद सिंह एवं अन्य छः माननीय सदस्यों द्वारा मंत्रिपरिषद् के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे निर्धारित संख्या के अभाव में अनुमति नहीं दिया गया ।

इस सत्र में प्रश्न काल का पटना दूरदर्शन द्वारा प्रसारण किया गया तथा सम्पूर्ण कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग भी की गयी जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । इस कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

सत्र के संचालन में भरपूर तथा सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों का मैं आभारी हूँ । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही को ले जाने का कार्य किया, उन्हें साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाती है ।

❄❄❄❄❄